

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

Email: cfkumoon_north@rediffmail.com, P: (05962) 231099 Fax: 230397

पत्रांक - 5712 / 12-1 (2) अल्मोडा, दिनांक, 16.06.2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर - चौडमन्या
मोटर मार्ग किमी 0 2.00 से भूलकी अध्याली तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं०
FP/UK/ROAD/29012/2017।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर
केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं० 08 बी/यू०सी०पी०/०६/१२६/२०१८/एफ०सी०/
२०१७ दिनांक २४.१२.२०१८।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक
स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की प्रस्तावक विभाग द्वारा किये गये अनुपालन की आख्या जो प्रमाणीय
वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक ८१९०/१२-१ दिनांक १६.०६.२०२२ से प्राप्त हुयी
है की तीन हार्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में आपको प्रेषित की जा रही है।

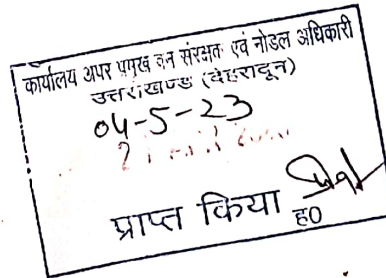
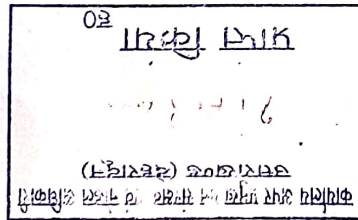
संलग्न- ०३ हार्ड कॉपियां।

भवदीय

(कुबेर सिंह बिष्ट)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।



23 JUN 2022

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

e-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com दूरभाष/फैक्स नं०- (05964)225234

पत्रांक 8190 / 12-1, पिथौरागढ़, दिनांक 16 जून, 2022 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।(ऑनलाईन प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/29012/2017)

सन्दर्भ:- कार्या० भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) के पत्रांक संख्या 08बी०/यू०सी०पी०/०६/126/2018/एफ०सी०/2017 दिनांक 24/12/2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून द्वारा जनपद-पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बेरीनाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी० 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

क्र० सं०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दूगने क्षेत्रफल 9.3220 हे० सिविल भूमि ग्राम-भूलकी अध्याली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दूगने क्षेत्रफल 9.3220 हे० सिविल भूमि ग्राम-भूलकी अध्याली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा करा दी गई है। प्रपत्र संलग्न- 01 उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कि कार्यवाही की जा चुकी है। संलग्न- 02
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जा चुकी है। संलग्न- 01
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बड़ी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय से वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बड़ी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। संलग्न- 03
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online

	गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	Generate किए गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा करा दी गई है। चालान प्रति संलग्न- 04
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो दोनों किनारों तथा central-verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में strip plantation की जाएगी, इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो दोनों किनारों तथा central-verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में strip plantation की जाएगी। वचनबद्धता संलग्न- 05
6	State Govt. will correct the discrepancy of number of trees in online portal at para-4 (ii) Part II and submit in the hard copy.	The correct tree count list is attached. संलग्न- 06
	अन्य आवश्यक शर्त:-	
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। संलग्न- 07
2	एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।	एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। संलग्न- 08
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.3220 हे० ग्राम-भूल की अध्याली सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.3220 हे० ग्राम-भूल की अध्याली सिविल एवं सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्न- 09
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं लगाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं लगाया जाएगा। संलग्न-10
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊंचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि का चार फीट ऊंचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जाएगा। संलग्न-11
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई, गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई, गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे। संलग्न-12
7	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। संलग्न-13
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तथा भूमि किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तथा भूमि किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्वा अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा। संलग्न-14
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 से अधिक न हो।	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 से अधिक न हो। संलग्न-15
10	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो दोनों किनारों तथा central-verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में strip plantation की जाएगी	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो दोनों किनारों तथा central-verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में strip plantation की जाएगी। संलग्न-16
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की

	निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। वचनबद्धता संलग्न-17
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। वचनबद्धता संलग्न- 18
13	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें वचनबद्धता संलग्न- 19

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्या:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-1. ब्रिडकुल-पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0, बेरीनाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

सरकार

वावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
राष्ट्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/126/2018/एफ०सी०/2017-

दिनांक: 24/12/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी० 2.00 से भूलकी अध्याली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 741/FP/UK/ROAD/29012/2017 दिनांक 13.09.2018 महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/29012/2017 एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी० 2.00 से भूलकी अध्याली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.3220 है० ग्राम-भूल की अध्याली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will correct the discrepancy of number of trees in online portal at para-4 (ii) Part-II and submit in the hard copy.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.3220 है० ग्राम-भूल की अध्याली सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियाँ एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा न फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जयप्रकाश रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता
ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. वाई.
पी. आई. यू. बेरीनाग

रिपोर्ट - 01

Untitled Page

3/9/2021

3	FP/UK/ROAD/29011/2017 (.../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/29011/2017) Construction of Didihat Aadichaure Motor Road to Munera Motor Road Under PMGSY Didihat	ROAD29011201711336129011133	13 Sep 2019	ICA: 5033239/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 5382970/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 10427209/-	7 Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 10 Oct 2019 Transaction Date 30 Oct 2019	Demand Letter (.../writemaddata/Fundpdf/10111122612111/P6M8Munera.pdf) Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD290112017133)
4	FP/UK/ROAD/12069/2015 (.../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/12069/2015) Construction of Raiagar- Chaurmanya To Daula Upreti Motor Road of Berinag Block in Pithoragarh District.	ROAD1206920158226112069822	12 Feb 2019	ICA: 4624940/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 5273256/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 9898196/-	7 Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 21 Aug 2019 Transaction Date 03 Sep 2019	Demand Letter (.../writemaddata/Fundpdf/811191223112151EADemandnotedaulaupreti.pdf) Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD120692015822)
5	FP/UK/ROAD/29012/2017 (.../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/29012/2017) Construction of Raiagarh Chaurmanya Motor Road to Bhuli ki Adhyali Motor Road Under PMGSY Didihat.	ROAD2901220175106129012510	24 Dec 2018	ICA: 2597715/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 3062277/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 5659992/-	7 Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 06 Feb 2019 Transaction Date 22 Feb 2019	Demand Letter (.../writemaddata/Fundpdf/11117125512110QGBEDemandNote.pdf) Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD290122017510)
6	FP/UK/ROAD/7798/2014 (.../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/7798/2014) DEV VICHONA-KHETAR KANYAL-GARALI M/R	ROAD779820143026177980302	12 Jan 2018	ICA: 9511282/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 11212230/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 20723512/-	7 Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 23 May 2018 Transaction Date 15 Jun 2018	Demand Letter (.../writemaddata/Fundpdf/5113124612111XP3T2demandnotegarali.pdf) Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD77982014302)

forests/clearance.nic.in/UserAccount/PaymentHistory.aspx

वरिष्ठ आगसीय अभियन्ता
ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. वाई.
पी. जे. ए. डू. बेरीनाग

आदेश

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-08बी/यू.सी.पी./06/126/2018/एफ.सी./2017 दिनांक 24.12.2018 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग कि.मी. 2.00 से भूल की अध्याली तक मोटर मार्ग के निर्माण में रही 4.661 है० वन भूमि के बदले 9.322 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग कि.मी. 2.00 से भूल की अध्याली तक मोटर निर्माण में आ रही 4.661 है० वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी, बेरीनाग की आख्या/संस्तुति के आधार पर ग्राम भूल की अध्याली, तहसील बेरीनाग के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-23 श्रेणी-9(3) बंजुर याबिल आयदा के खेत नम्बर 1271 मध्ये रकवा 9.322 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार बेरीनाग स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक मई 17, 2019

(डॉ० विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

654-

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 1271/सात-16 /2018-19

दिनांक मई 24, 2019

1. प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
 2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
 3. उप जिलाधिकारी बेरीनाग।
 4. तहसीलदार बेरीनाग को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित वि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण क अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 5. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०(ब्रिडकुल) बेरीनाग पिथौरागढ़ को सूचना प्रेषित।

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता
एल पी. एम. जी. एस. वर्मा,
पि. आई. यू. बेरीनाग

(डॉ० विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

श्रेणी - १(३) ड बंपर काबिल आबाद

क्र० सं०	नाम-खरिदार	जन्म वर्ष प्रारम्भ होने का वर्ष	खेत न०	रकबा (हे० में)	अन्य विवरण
23	बंपर काबिल आबाद		1 10 14 28 89	0.005 0.079 0.110 0.003 0.016	मिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के आदेश सं० 1241/सात-16/2018-19 दि० धून 24, 2019 के अनुसार राष्ट्रपति अनुभाग-2 के बासनादेश सं० 2173/XV III (II)/2012-18 (120)/2010 दि० 17-12-12 में निहित प्रावधानों के अनुसार पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण नौटम्या मोटर मार्ग कि० मी० 2.00 से शुरू की गयी। तब मोटर मार्ग में आ रही 4.661 हे० वन भूमि के बदले उपमिलाधिकारी बेरीनाग की आस्था / संस्तुति के आधार पर ग्राम मुख्यालय, तहसील बेरीनाग के गैर भ० कि० खतौनी सात सं० - 23 श्रेणी- १(३) ड बंपर काबिल आबाद के खेत न० 1241 मध्ये रकबा 9.322 हे० सिविल भूमि का विभाग के ग्राम हस्तांतरण नाकातरफ किया। ह० अ० आशा राज राजस्व उपनिरीक्षक पडी हुंसीपत तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़
		1374 जसदी प्र	1256 1271 1279 1290	0.025 19.629 0.088 0.082	
			2312 2338 2370	0.006 0.003 0.045	
	योग		335	28.275	

महोदय
आशा राज
राजस्व उपनिरीक्षक
पडी हुंसीपत
तहसील बेरीनाग (पिथौरागढ़)

असल से मूल लेयर ठीक।

आशा राज
पडी हुंसीपत
तहसील बेरीनाग

वरिष्ठ आवासीय अभियंता
डिप्टी कुल पी. एम. जी. एस. इ. ए.
पी. आई. यू. बेरीनाग



ब्रिडकुल-पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0, बेरीनाग

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्डसरकारका उपक्रम)

पी0आई0यू0 कार्यालय:-नीयर अल्मोडा अरबन कोपरेटीव बैंक, चौकबाजार, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़-262531
ई-मेल -pmgsyberinag@gmail.com, CIN No -U45203UR2008SGC032591



वचनबद्धता सलग्न: 03

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के कम में वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

वरिष्ठ अभियन्ता

ब्रिडकुल पी.एम.जी.एस.वाई.

पी.आई.यू. बेरीनाग

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 06-02-2019	
Agency Name.	Vinod Kumar
Application No.	6129012510
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/126/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	P.M.G.S.Y DidihatPithoragarh
Amount(in Rs)	5659992/-
Amount in Words : Fifty-Six Lakh Fifty-Nine Thousand Nine Hundred and Ninety-Two Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896129012510 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only - This challan is valid only for seven days.	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 06-02-2019	
Agency Name.	Vinod Kumar
Application No.	6129012510
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/126/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	P.M.G.S.Y Didihat Pithoragarh
Amount(in Rs)	5659992/-
Amount in Words : Fifty-Six Lakh Fifty-Nine Thousand Nine Hundred and Ninety-Two Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896129012510 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only - This challan is valid only for seven days.	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

वरिष्ठ आयासीय व निगरा
ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. वाई.
पी. आई. यू. बेरीनाग



ब्रिडकुल-पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0, बेरीनाग

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्डसरकारका उपक्रम)

पी0आई0यू0 कार्यालय:-नीयर अल्मोडा अरबन कोपरेटीव बैंक, चौकबाजार, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़-262531
ई-मेल -pmgsyberinag@gmail.com, CIN No -U45203UR2008SGC032591



वचनबद्धता सलग्न 05

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के कम में वचनबद्धता दी जाती है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण (पी0एम0जी0एस0वाई0, ब्रिडकुल, बेरीनाग, पिथौरागढ़) द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किया जायेगी।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06.01.2023

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता
ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. वर्ड.
पी. आई. यू. बेरीनाग



ब्रिडकुल-पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0, बेरीनाग

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्डसरकारका उपक्रम)

पी0आई0यू0 कार्यालय-नीयर अल्मोडा अरबन कोपरेटीव बैंक, चौकबाजार, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़-262531
ई-मेल -pmgsyberinag@gmail.com, CIN No -U45203UR20085GC032591



वचनबद्धता संलग्न: 07

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 01 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता
ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. वर्ड.
पी. आई. यू. बेरीनाग



ब्रिडकुल-पी0एम0जी0एस0वाई0,

पी0आई0यू0, बेरीनाग

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

पी0आई0यू0 कार्यालय-नीयर अल्मोडा अरबन कोपरेटीव बैंक, चौक बाजार, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़-262531
ई-मेल -pmgsyberinag@gmail.com, CIN No -U45203UR20085GC032591



वचनबद्धता संलग्न: 08

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 02 के कम में वचनबद्धता दी जाती है कि एन. पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-2022

ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. व

पी. आई. यू. बेरीनाग

:: Certificate ::

Certified that 4.661 hectares of forest land is to be transferred to PMGSY, PIU Berinag (Bridcul), Uttarakhand for non-forestry works for construction of Raiaagar-Chaurmanya to Bhoolki Adhyali Motor (4.661 ha) under PMGSY, PIU Berinag, at Block Gangolihat in Pithoragarh district. For the above work, under village Bhoolki Adhyali, Tehsil-Berinag in Pithoragarh district, non-zamindari abolition Khatauni account number-23 category-09 (3) 9.322 hectares land of barren Qabil Aawad, farm no. 1271 has been transferred to forest department for compensatory afforestation. As per govt. notification no. 869-F/638 dated 17.10.1893 and Uttar Pradesh govt. notification 1506/14-2-97-800 (II)/1997 dated, 17.03.1997, the land identified for compensatory afforestation has been declared protected forest. There is no need to redeclare the above land as protected forest.

Divisional Forest Officer
Pithoragarh



ब्रिडकुल-पी0एम0जी0एस0वाई0,

पी0आई0यू0, बेरीनाग

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्डसरकारका उपक्रम)

पी0आई0यू0 कार्यालय-नीयर अल्मोडा अरबन कोपरेटीव बैंक, चौकबाजार, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़-262531
ई-मेल -pmgsyberinag@gmail.com, CIN No -U45203UR2008SGC032591



वचनबद्धता संलग्न 09

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 03 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.3220 हे0 ग्राम-भूल की अध्याली सिविल एवं सोयम भूमि को 15 मंजूर अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नाडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. व.

पी. आई. यू. बेरीनाग

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 04 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं लगाया जाएगा।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. व

पी. आई. यू. बेरीनाग



ब्रिडकुल-पी0एम0जी0एस0वाई0,

पी0आई0यू0, बेरीनाग

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्डसरकारका उपक्रम)

पी0आई0यू0 कार्यालय:-नीयर अल्मोडा अरबन कोर्पोरेटीव बैंक, चौकबाजार, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़-262531
ई-मेल -pmgsyberinag@gmail.com, CIN No -U45203UR2008SGC032591



वचनबद्धता संलग्न: 11

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 05 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि का चार फीट ऊंचे आर0सी0पी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जाएगा।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. वाई.

पी. आई. यू. बेरीनाग



वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 06 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई, गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस.

पी. आई. यू. बेरीनाग

ब्रिडकुल-पी0एम0जी0एस0वाई0,

पी0आई0यू0, बेरीनाग

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्डसरकारका उपक्रम)

पी0आई0यू0 कार्यालय:-नीयर अल्मोडा अरबन कोपरेटीव बैंक, चौकबाजार, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़-262531
ई-मेल -pmgsyberinag@gmail.com, CIN No -U45203UR2008SGC032591



वचनबद्धता संलग्न 13

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 07 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. आई. यू.

पी. आई. यू. बेरीनाग



वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 08 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तथा भूमि किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्वा अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

ब्रिडकुल

पं.

वाई.

नगराज



वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 09 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 से अधिक न हो।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. वाई.

पी. आई. यू. बेरीनाग



वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 10 के कम में वचनबद्धता दी जाती है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो दोनों किनारों तथा central-verge पर प्रयोक्ता प्रभियंता द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में strip plantation की जाएगी।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

ब्रिडकुल पी. एम. राईआगर-चौउमन्या

पी. आई. यू.

ब्रिडकुल-पी0एम0जी0एस0वाई0,

पी0आई0यू0, बेरीनाग

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

(उत्तराखण्डसरकारका उपक्रम)

पी0आई0यू0 कार्यालय:-नीयर अल्मोडा अरबन कोर्पोरेटीव बैंक, चौकबाजार, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़-262531

ई-मेल -pmgsyberinag@gmail.com, CIN No -U45203UR2008SGC032591



वचनबद्धता संलग्न: 17

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 11 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जाएगा।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस. वाई.

पी. आई. बी. ए. ए.



वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 12 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-22

रिश्त आवासीय अभियन्ता
ल. पी. एम. जी. एस. बॉर्ड,
पे. आई. यू. बेरीनाग



वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.661 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ऑनलाईन प्रास्ताव संख्या FP/UK/ROAD/29012/2017 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीया कार्यालय (उत्तर-माध्यम क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/126/2018/एफ0सी0/2017 दिनांक 24/12/2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्य आवश्यक शर्त संख्या 13 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

हस्ताक्षर -

नाम - आकाश दीप भट्ट

पद - वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता

दिनांक - 06-01-2022

वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता
ब्रिडकुल पी. एम. जी. एस.
पी. आई. यू. बेरीनाग

परियोजना का नाम: जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, राईआगर -चौड़मन्या किमी० से भूल्की अध्याली मोटर मार्ग किमी० ०.०० से १०.७०० तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								योग
				20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	सिविल सोयम	चीड़	Pinus Roxburghil	6	6	2	-	-	-	-	-	14
3	वन पचायत	चीड़		14	10	9	6	-	-	-	-	39
	योग	चीड़		20	16	11	6	-	-	-	-	53
4	नाप भूमि	चीड़	Pinus Roxburghil	5	7	3	-	-	-	-	-	15
	कुल योग			25	23	14	6	-	-	-	-	68

परियोजना के (९.००मी०-७.००मी०) २.००मी० निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								योग
				20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	सिविल सोयम	चीड़	Pinus Roxburghil	2	4	1	-	-	-	-	-	7
3	वन पचायत	चीड़		3	5	7	2	-	-	-	-	17
	योग	चीड़		5	9	8	2	-	-	-	-	24
4	नाप भूमि	चीड़	Pinus Roxburghil	2	4	2	-	-	-	-	-	8
	कुल योग			7	13	10	2	-	-	-	-	32

उपरोक्तानुसार गणना किये गये परियोजना के ७.००मी० निर्माण से प्रभावित होने वाले ६८ वृक्षों का गणना किया जाना अपरिहार्य है।

हस्ताक्षर
वन क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ़

वेरीनाग

वेरीनाग

प्रधानीयुक्त अधिकारी
पिथौरागढ़ वन विभाग
पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम: जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, राईआगर-चौड़मन्या किमी० से भूल्की अध्याली मोटर मार्ग किमी० ०.०० से १०.७०० तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।
आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि

क्र० सं०	भूमि का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	सिविल सोयम भूमि	चीड़	20-30	6	719.07	4314.42
	वन पंचायत भूमि			14		10068.98
	नाप भूमि			5		3595.35
2	सिविल सोयम भूमि	चीड़	30-40	8	2712.15	16272.90
	वन पंचायत भूमि			10		27121.50
	नाप भूमि			7		18985.50
3	सिविल सोयम भूमि	चीड़	40-50	2	5869.816	11739.63
	वन पंचायत भूमि			9		52828.34
	नाप भूमि			3		17609.44
4	सिविल सोयम भूमि	चीड़	50-60	-	10407.00	-
	वन पंचायत भूमि			6		62442.00
	नाप भूमि			-		-
5	सिविल सोयम भूमि	चीड़	50-60	-	-	-
	वन पंचायत भूमि			-	-	-
	नाप भूमि			-	-	-
6	सिविल सोयम भूमि	चीड़	50-60	-	-	-
	वन पंचायत भूमि			-	-	-
	नाप भूमि			-	-	-
7	सिविल सोयम भूमि	चीड़	50-60	-	-	-
	वन पंचायत भूमि			-	-	-
	नाप भूमि			-	-	-
8	सिविल सोयम भूमि		कुल योग		महायोग	32328.95
	वन पंचायत भूमि					152408.82
	नाप भूमि					40190.29
						224978.06


वन क्षेत्राधिकारी
बेरीनाग


परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन
पिथौरागढ़ वन प्र. म. वि. नगरागढ़